**अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986), कक्ष सं0–4, अलीगढ़**

**गैंगस्टर सत्र परीक्षण संख्या–213/2024**
**राज्य बनाम विशाल व अन्य**

**मुकदमा अपराध संख्या–84/2023**
**धारा–2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज**
**विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986**
**थाना–अकराबाद, अलीगढ़**

**आरोप**

मैं, संजय कुमार यादव–प्रथम, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (गैंगस्टर एक्ट), कक्ष संख्या 4, अलीगढ़, एतद् द्वारा आप अभियुक्त **विशाल** के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप विरचित करता हूँ–

यह कि आपने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गिरोह बनाया है और जनपद अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्रान्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 16, 17 व 22 के अधीन लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने व अपने व अन्य किसी व्यक्ति के लिए अनुचित, सांसारिक, आर्थिक, भौतिक लाभ या अन्य लाभ प्राप्त करने के उददेश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न द्वारा या अन्य प्रकार से निम्नलिखित मामले में समाज विरोधी क्रिया कलाप किया जाता रहा है।

**अभियुक्त विशाल के विरूद्ध गैंग चार्ट में निम्नलिखित मुकदमे उल्लिखित हैं–**

**i-**मु0अ0सं0–320/2022 धारा–379, 411 भा0द0सं0, थाना–अकराबाद, अलीगढ़,

**ii-**मु0अ0सं0–415/2022 धारा–379, 411 भा0द0सं0, थाना–अकराबाद, अलीगढ़

इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया है, जो उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम सन् 1986 की धारा–2/3 के अधीन दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद द्वारा आपको यह निर्देशित करता हूँ कि उक्त आरोप पर आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावे।

**दिनांक 12–09–2025**

**(संजय कुमार यादव–प्रथम)**
**अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/**
**विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट),**
**कक्ष संख्या–04, अलीगढ़**

अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और परीक्षण की मांग किया गया।

**दिनांक 12–09–2025**

**(संजय कुमार यादव–प्रथम)**
**अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/**
**विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट),**
**कक्ष संख्या–04, अलीगढ़**

**अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986), कक्ष सं0–4, अलीगढ़**

**गैंगस्टर सत्र परीक्षण संख्या–213/2024**
**राज्य बनाम विशाल व अन्य**

**मुकदमा अपराध संख्या–84/2023**
**धारा–2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज**
**विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986**
**थाना–अकराबाद, अलीगढ़**

**12–09–2025**

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **विशाल** मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आया। जबकि अभियुक्त विक्की पर्याप्त अवसर के बावजूद भी आगरा जिला कारागार से तलब होकर पेश नहीं किया गया। जिसके आधार पर उपस्थित अभियुक्त विशाल के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया कि अभियुक्त विशाल के विरूद्ध आरोप विरचित कर लिया जाये। जिसके आधार पर अभियुक्त विक्की की अनुपस्थिति में अभियुक्त विशाल के विरूद्ध आरोप विरचित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आरोप के बिन्दु पर अभियुक्त विशाल के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान लोक अभियोजक द्वारा की गयी बहस को सुना। न्यायालय की राय में पत्रावली पर प्रथम दृष्टया यह अवधारित करने का पर्याप्त आधार है कि अभियुक्त **विशाल** के विरूद्ध धारा–2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 का आरोप विरचित किया जाए।

तदनुसार अभियुक्त **विशाल** के विरूद्ध धारा–2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढकर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग किया।

**मामले का अभियुक्त विक्की नियत तिथि को अनिवार्य रूप से जिला कारागार आगरा से नियमानुसार तलब हो। जिससे उस पर आरोप विरचित किया जाना सुनिश्चित हो सके।**

अतः पत्रावली वास्ते आरोप विरचन बावत अभियुक्त विक्की दिनांक **26–09–2025** को पेश हो।

**(संजय कुमार यादव–प्रथम)**
**अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/**
**विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट),**
**कक्ष संख्या–04, अलीगढ़**

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2025.09.12 19:05:43 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court